न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 29 / 2018

1 रामलाल पुत्र दूदाराम जाति जाट निवासी ग्राम रामबक्सपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 झूमरमल पुत्र दूदाराम।
2 बरजी देवी पत्नी अर्जुनसिंह।
3 गणपत पुत्र परसाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामबक्सपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
4 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा कांसली तहसील धोद जिला सीकर।
5 राज्य सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद सीकर
दावा संख्या 461 / 15 बउनवानी झुमरमल बनाम
रामलाल वगैरह दिनांकित 31.05.2017

उपस्थिति :

1. श्री मनोज भार्गव, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः— 23.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा संख्या 461/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के समक्ष अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 के खिलाफ अपीलाधीन वाद संख्या 461/2015 बउनवानी झूमरमल बनाम रामलाल आदि बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, बंटवारा व दुरूस्ती इन्द्राजात अन्तर्गत धारा 88,188,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट ग्राम रामबक्सपुरा पटवार हल्का पेवा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमियां खसरा नम्बर 23 रकबा 1.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 1.15 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.20 हैक्टेयर एवं भूमि खसरा नम्बर 204 रकबा 3.68 हैक्टेयर के बाबत में प्रस्तुत किया गया। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2017 को बिना विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई, इसलिए अपीलांट की ओर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.05.2017 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दिनांक 27.08.2015 की तारीख पेशी निर्धारित की गई। आगामी तारीख पेशियों दिनांक 03.09.2015 एवं 21.09.2015 को पीठासीन अधिकारी द्वारा अदालती कार्यवाही नहीं हुई तथा दिनांक 20.10.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एडवोकेट सोहनलाल द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा शेष की

उप खण्ड अधिकारी
सीकर

तलबी रिपोर्ट अप्राप्त रही तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.11.2015 निर्धारित कर दी गई। दिनांक 20.11.2015 को वादी की ओर से एडवोकेट प्रभातीलाल द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.01.2015 निर्धारित कर दी गई। उसके पश्चात लगातार पेशियां पड़ती रही तथा दिनांक 30.03.2017 को दिनांक 09.06.2017 निर्धारित कर दी गई। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व ही बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही दिनांक 31.05.2017 को पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प पेवा का हवाला देते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी करने से पूर्व न तो अपीलांट तथा न ही उसके अधिवक्ता को सूचित किया गया तथा न ही वाद में अपनायी जाने वाली विधिक प्रकिया की कोई पालना ही की गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन वाद में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए अपीलाधीन वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जबकि अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 204 के सम्बंध में पूर्व में वाद विचारित होकर बंटवारे बाबत निर्णय एवं अन्तिम डिक्री पारित की जा चुकी है। जो पत्रावली में आगामी अनुक्रम में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। जब एक जमीन के बाबत उन्ही पक्षकारों के मध्य वाद विचारित होकर निर्णय पारित हो चुका हो तो कानूनन इसका दावा विधि द्वारा पारित है तथा विधि द्वारा वर्जित है तथा चलने योग्य ही नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि पत्रावली दिनांक 20.10.2015 से 30.03.2017 तक तलबी में नियत नही है। दिनांक 30.03.2017 को आगामी तिथि 09.06.2017 नियत की गई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में 09.06.2017 की कोई आदेशिका अंकित नही है। अपितु दिनांक 31.05.2017 को विचाराधीन प्राथमिक डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जारी करने का आदेश आदेशिका पर अंकित है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अनुसार न तो जवाब दावा प्राप्त किया गया, न तलबी पूर्ण की गई, न ही तनकीयात कायम की गई, न उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त किये गये, अपितु सीधे ही विचाराधीन डिक्री पारित की गई है। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया पूर्ण कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.04.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर